कार्यालय खनन निरीक्षक अमेठी।

शुद्धि पत्र

अवगत कराना है कि इस कार्यालय द्वारा अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या—01/खा0नि0/2024—25 आमंत्रित की गई थी। जिसमें निविदा के डाउनलोड तथा e-tender portal http://etender.up.nic.in पर निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 25.04.2025 सायं 16.00 बजे निर्धारित थी परन्तु अपरिहार्य कारणों से उक्त ई-निविदा दिनांक 25.04.2025 तक आमंत्रित नहीं की जा सकी।

उक्त ई-निविदा की निविदा विकय/ प्रथम भाग खुलने की तिथियां निम्नवत् होगी-

1 निविदा डाउनलोड / विक्रय की प्रारम्भ तिथि एवं समय	02.05.2025 के प्रातः 10:00 बजे से
2 निविदा डाउनलोड / विक्रय की अन्तिम तिथि एवं समय	12.05.2025 सायं 17:00 बजे तक
3 ई-निविदा का प्रथम भाग खुलने की तिथि एवं समय	13.05.2025 सायं 11:00 बजे तक
4 ई-निविदा का द्वितीय भाग खुलने की तिथि एवं समय	बाद में सूचित की जायेगी।

29/04/12/5 खान निरीक्षक अमेठी प्रेषक,

खान निरीक्षक जनपद—अमेठी।

सेवा में,

निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक : 727 / क्वै० का० अमेठी / ई-निविदा

दिनांक-03.03.2025

विषय: — निविदा (e-Tender) सूचना संख्या—01/खा0नि0/2024—25 का प्रकाशन। महोदय,

उपरोक्त विशयक ई—निविदा सूचना संख्या—01/खा0नि0/2024—25 की 04 प्रतियों एवं सी0डी0 साथ में संलग्नकर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया इसका प्रकाशन प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार—प्रसार हेतु यथाशीघ्र प्रकाशित कराने की कृपा करें साथ ही विज्ञप्ति को उ०प्र0 सरकार की वेबसाईट (http://etender.up.nic.in), सूचना विभाग की वेबसाईट (http://information.up.nic.in) एवं सिंचाई विभाग की वेबसाईट (http://idup.gov.in) पर भी प्रकाशित कराने एवं प्रकाशित निविदा वाले प्रत्येक समाचार पत्र की एक—एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:--उपरोक्तानुसार 04 प्रतियों मय सी०डी० सहित।

Email ID: rodgmfaizabad@gmail.com

खान निरीक्षक अमेठी

पत्रांक : 727 / क्वै० का० अमेठी / ई—निविदा / दिनॉक —03.03.2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित है :-

- 1. जिलाधिकारी, अमेठी।
- 2. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), जनपद अमेठी।
- 3. प्रभागीय वनाधिकारी, जनपद अमेठी।
- 4. अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड—41, अमेठी / खण्ड—45, रायबरेली / खण्ड—49, सुलतानपुर / खण्ड—28, हैदरगढ़, बाराबंकी |
- 5. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

संलग्नक:- यथोक्त

खान निरीक्षक अमेठी

कार्यालय खनन निरीक्षक अमेठी।

ई-निविदा सूचना संख्या-01/खा0नि0/2024-25

सर्वसाधारण जिनका सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा वैध चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत हो, से जनपद अमेठी के अन्तर्गत सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के खण्डों की सिल्ट सफाई के उपरान्त नहर के बैंकों पर आधिक्य मात्रा में पड़ी कबाडयुक्त सिल्ट की ई—निविदा के माध्यम से निम्निलखित नहरों की बैंकों पर पड़ी हुई कबाडयुक्त सिल्ट की आनलाईन प्री—क्वालिफिकेशन/टेक्निकल एवं फाइनेंसियल बिड दिनांक— 25.03.2025 को समय अपरान्हः 05 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। जिसकी प्री—क्वालिफिकेशन टेक्निकल बिड दिनांक— 26.03.2025 को पूर्वान्हः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में आनलाइन खोली जायेगी एवं प्राईस/फाइनेन्शियल बिड खोलने की तिथि कुल प्राप्त बोलीदाताओं की संख्या के आधार पर निर्धारित होगी, जो नोटिस बोर्ड व ई—पोर्टल पर सूचित की जायेगी। ई—निविदा सम्बन्धी समस्त प्रपत्र दिनांक 11.03.2025 से दिनांक—25.03.2025 को अपरान्हः 04.00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकेगी। कार्यालय बन्द होने अथवा राजकीय अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यदिवस में उसी समय खोली जायेगी। निर्धारित डिमाण्ड ड्राफ्ट की स्कैण्ड प्रति एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों की प्रति अपलोड न किये जाने पर संबंधित की टेक्निकल बिड को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

पर संबंधित का टाक्नकल बिंड का स्वाकार नहीं किया जायगा।					
क0 स0	नहर का नाम एवं चैनेज	मात्रा (घनमी० में)	न्यूनतम निर्धारित दर/घनमी0	अनुमानित राजस्व रु0 में	कालम—5 के सापेक्ष कुल धनराशि का 75 प्रतिशत (डी०डी० के रूप में)
1	2	4	5	6	7
शार	दा सहायक खण्ड—41, अमेठी				
1	रिछौरा रजबहा के किमी0 0.100 से किमी0 1.150 तक	800.00	55.00	44000.00	33000
2	जायस रजबहा किमी० 0.000 से 8.000 तक	1500.00	55.00	82500.00	61875
3	जायस रजबहा किमी० 16.306 से 25.000 तक	1200.00	55.00	66000.00	49500
4	जनापुर अल्पिका के किमी० 0.000 से किमी० 0.500 तक	500.00	55.00	27500.00	20625
5	गेरावां रजबहा किमी० 0.100 से किमी० 0.600 तक	1100.00	55.00	60500.00	45375
6	कटेहटी रजबहा किमी० 0.200 से किमी० 0.600 तक	800.00	55.00	44000.00	33000
7	देवकली रजबहा किमी० 0.200 से किमी० 0.550 तक	750.00	55.00	41250.00	30937.5
8	सिंदुरवा रजबहा किमी० ०.४०० से किमी० 7.००० तक	3800.00	55.00	209000.00	156750
9	सिंदुरवा अल्पिका किमी० ०.००० से किमी० ०.५०० तक	400.00	55.00	22000.00	16500
10	रतखेता अल्पिका किमी० ०.००० से किमी० ०.५०० तक	200.00	55.00	11000.00	8250
11	बहारपुर रजबहा किमी० ०.००० से किमी० 2.००० तक	1250.00	55.00	68750.00	51562.5
12	कडौरा अल्पिका किमी० ०.००० से किमी० 4.००० तक	800.00	55.00	44000.00	33000
13	सिंहपुर रजबहा किमी० 7.400 से किमी० 7.800 तक	1200.00	55.00	66000.00	49500
14	सिंहपुर रजबहा किमी० ८.१०० से किमी० ८.५५० तक	1000.00	55.00	55000.00	41250
15	सिंहपुर रजबहा किमी० 13.000 से किमी० 13.500 तक	1000.00	55.00	55000.00	41250
16	रेवली अल्पिका किमी० ०.३०० से किमी० ०.६५० तक	400.00	55.00	22000.00	16500

17	जगतपुर अल्पिका किमी० ०.००० से किमी० ०.३०० तक	300.00	55.00	16500.00	12375
18	ऊतिया अल्पिका किमी० ०.००० से किमी० ०.३०० तक	300.00	55.00	16500.00	12375
	योग			951500.00	713625.00
शार	रा सहायक खण्ड–४९, सुलातनपुर				/13023.00
19	अमेठी रजबहा किमी० 7.200 से 8.200 तक	380.00	55.00	20900.00	15675
20	अमेठी रजबहा किमी0 9.000 से 10.000 तक	230.00	55.00	12650.00	9487.5
21	अमेठी रजबहा किमी० 11.556 से 12.500 तक	417.00	55.00	22935.00	17201.25
22	अमेठी रजबहा किमी० 16.000 से 16.893 तक	350.00	55.00	19250.00	14437.5
23	औरंगाबाद रजबहा किमी० 0.000 से 0.400 तक	157.00	55.00	8635.00	6476.25
24	टिकरी रजबहा किमी० 0.000 से 1.000 तक	1082.00	55.00	59514.40	44635.8
	योग			143884.40	107913.3
शार	रा सहायक खण्ड—28, हैदरगढ़, बाराबंकी				
25	दौलतपुर रजबहा के किमी० 0.050 से किमी० 0.450 तक एवं किमी० 0.500 से किमी० 0.560 तक	383.30	55.00	21083.00	15812.25
26	सिकन्दरपुर अल्पिका के किमी० 0.000 से किमी० 0.300 तक	191.25	55.00	10519.00	7889.25
27	भदसाना अल्पिका के किमी० 0.000से किमी० 0.300 तक एवं किमी० 0.400 से किमी० 0.500 तक	396.25	55.00	21794.00	16345.5
28	अरियावां अल्पिका के किमी० 0.000 से किमी० 1.000 तक	677.95	55.00	37287.00	27965.25
29	आदिलपुर अल्पिका के किमी० 0.000 से किमी० 0.836 तक	676.34	55.00	37199.00	27899.25
30	शंकरगंज अल्पिका के किमी० 0.000 से किमी० 0.600 तक	313.30	55.00	17232.00	12924
31	तिलोई अल्पिका के किमी० 0.200 से किमी० 1.100 तक	713.93	55.00	39266.00	29449.5
32	मोहना अल्पिका के किमी० 0.000 से किमी० 0.900 तक	523.34	55.00	28784.00	21588
33	शिवली अल्पिका के किमी० 0.000 से किमी० 0.300 तक	113.00	55.00	6215.00	4661.25
	योग			219379.00	164534.25
शार	रा सहायक खण्ड—45, रायबरेली।		1		
34	नसीराबाद रजबहा के किमी० 0.150 से किमी० 12.000 तक	550.00	55.00	30250.00	22687.5
35	नसीराबाद रजबहा के किमी० 0.150 से किमी० 11.500 तक	350.00	55.00	19250.00	14437.5
36	महमूदपुर अल्पिका के किमी० 0.000 से किमी० 0.600 तक	125.00	55.00	6875.00	5156.25
37	महमूदपुर अल्पिका के किमी० 0.200 से किमी० 1.000 तक	110.00	55.00	6050.00	4537.5

38	दहिरामऊ अल्पिका के किमी० 0.000 से किमी० 1.600 तक	195.00	55.00	10725.00	8043.75
39	दहिरामऊ अल्पिका के किमी० 0.000 से किमी० 0.800 तक	145.00	55.00	7975.00	5981.25
40	दहिरामऊ अल्पिका के किमी० 4.400 से किमी० 5.000 तक	120.00	55.00	6600.00	4950
41	बसौनी अल्पिका के किमी0 0.000 से किमी0 0.600 तक	115.00	55.00	6325.00	4743.75
42	बसौनी अल्पिका के किमी0 1.700 से किमी0 2.000 तक	125.00	55.00	6875.00	5156.25
43	सरायमहेशा अल्पिका के किमी० ०.००० से किमी० ०.४०० तक	136.00	55.00	7480.00	5610
44	सरायमहेशा अल्पिका के किमी० ०.५१० से किमी० ०.७०० तक	121.00	55.00	6655.00	4991.25
45	बेहटा अल्पिका के किमी० 1.426 से किमी० 2.058 तक	175.00	55.00	9625.00	7218.75
46	बेहटा अल्पिका के किमी० 0.000 से किमी० 1.400 तक	205.00	55.00	11275.00	8456.25
47	पीढी अल्पिका के किमी० 0.264 से किमी० 2.500 तक	450.00	55.00	24750.00	18562.5
48	खालिसपुर अल्पिका के किमी० 0.079 से किमी० 0.443 तक	90.00	55.00	4950.00	3712.5
49	नसीराबाद अल्पिका के किमी0 0.000 से किमी0 0.500 तक	150.00	55.00	8250.00	6187.5
50	नसीराबाद अल्पिका के किमी0 1.063 से किमी0 2.183 तक	215.00	55.00	11825.00	8868.75
51	नसीराबाद अल्पिका के किमी0 0.000 से किमी0 0.500 तक	125.00	55.00	6875.00	5156.25
52	नसीराबाद अल्पिका के किमी0 1.063 से किमी0 2.183 तक	205.00	55.00	11275.00	8456.25
	योग			203885.00	152913.75
	महायोग			1528648.40	1138986.55

नियम एवं शर्तें

जपरोक्त कबाडयुक्त सिल्ट (साधारण बालू) के निस्तारण हेतु निम्न शर्तो / प्रतिबन्धों के अनुरूप कार्य योजना बनायी गयी है।

- 1. उक्त ई—निविदा के माध्यम से आमंत्रित नीलामी की पूर्ण नियम एवं शर्ते उ०प्र० सरकार की वेबसाइट https://etender.up.nic.in/, सूचना विभाग की वेबसाइट https://information.up.nic.in/ तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट www.idup.gov.in पर भी उपलब्ध है |
- 2. तालिका में उल्लिखित मात्रा का निस्तारण ई-निविदा के माध्यम किया जायेगा।
- 3. कोई व्यक्ति / फर्म / निकाय जो भारतीय नागरिक हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई—निविदा संलग्न प्रारूप—2 पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बाते होंगी:—
 - (क) सम्बन्धित जिस जनपद का स्थायी निवासी हो उस जनपद के जिलाधिकारी द्वारा जारी वैद्य चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत हो।
 - (ख) पैनकार्ड।
 - (ग) फोटोयुक्त पहचान पत्र (आधार/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आई०डी०/पासपोर्ट/बिजली बिल/फोटोयुक्त बैंक पासबुक/ राशनकार्ड)। फर्म/कम्पनी/निकाय के लिए उसका पंजीकरण एवं जी०एस०टी० का विवरण।
 - (घ) उपरोक्त तालिका में के कालम संख्या—05 में वर्णित राशि का 75 प्रतिशत धनराशि का <u>बैंक</u> ड्राफ्ट (किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी हो) जो **जिलाधिकारी अमेठी** के पक्ष में देय हो की

स्कैन प्रति ई—निविदा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा कि दशा में निविदा स्वीकार नहीं होगी।

- (ड) खनिज के प्रति घनमीटर के लिये दी जाने वाली ई—निविदा की दर— (ई—निविदा की दर उस खनिज के लिये नियमावली—2021 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नहीं होगी।)
- 4. ई—निविदा की कार्यवाही जिलाधिकारी, अमेठी के आदेश सं0—03 / सिल्ट नीलामी, दिनांक—01.01.2025 एवं आदेश सं0— 185 / सिल्ट नीलामी, दिनांक—31.01.2025 द्वारा गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव के सापेक्ष अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्तं खान निरीक्षक अमेठी द्वारा की जायेगी।
- 5. ई—निविदा की प्रक्रिया उपरोक्त तालिका में वर्णित सिंचाई विभाग एवं जल संसाधन विभाग जनपद अमेठी की कुल — नहरों हेतु अलग—अलग ई—निविदाकार ई—नीलामी के माध्यम से चयनित किये जायेगें।
- 6. ई—निविदाकार निविदा को ऑनलाइन अपलोड किये जाते समय चरित्र प्रमाण पत्र IDT-1 स्वाघोषणा प्रमाण पत्र IDT-3 On 100.00 Rs. Non Judicial Stamp, पैनकार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति की स्वप्रमाणित प्रतियां के साथ साथ एन0आई0टी0 के साथ संलग्न ई—निविदा प्रपत्र (प्रारूप—2) में समस्त सूचना भरकर हस्ताक्षर सहित अपलोड किया जाना आवश्यक होगी। अपलोड न किये जाने की दशा में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 7. निर्धारित तिथि को ई—निविदा / ई—नीलामी खोली जाएगी | इच्छुक निविदादाता निविदा खोलते समय भाग ले सकते हैं । प्रति घनमीटर सर्वोच्च बोली के आधार पर ई—निविदाकार का चयन किया जाएगा ।
- 8. ई—निविदाकार व्यक्ति/फर्म को 10.00 रू० के नॉन ज्यूडिशयल स्टाम्प पर इस आशय का प्रमाण पत्र लिख कर अपलोड करना अनिवार्य होगा कि वह नहर बैंकों से कबाडयुक्त सिल्ट (साधारण बालू) उठान के दौरान सिंचाई विभाग की नहरों में कोई क्षति/नुकसान नहीं पहुचायेगा। यदि नीलामीकर्ता द्वारा कोई क्षति/नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकों व्यक्तिगत खर्चे पर नहर को पूरी तरह से विभागीय मानकों के अनुरूप ठीक कराना होगा।
- 9. ई—निविदाकार को तालिका के कालम—3 में उल्लिखित रायल्टी की दर रू० 55.00 प्रति घनमीटर को आधार मानते हुए उच्च बोली का ऑफर ई—निविदा पोर्टल पर देना होगा। सर्वोच्च बोली के आधार पर रींचवार ई—निविदाकार का चयन किया जाएगा। सर्वोच्च बोली द्वाता को सर्वोच्च बोली के अनुसार देय कुल रायल्टी व अन्य देय जमा करना होगा अन्यथा कि स्थिति में निर्धारित समयाविध व्यतीत हो जाने के उपरान्त उसके द्वारा किये गये किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 10. बोलीदाता द्वारा साइट का भली भॉति निरीक्षण करने के उपरान्त ही नीलामी की प्रक्रिया में भाग लिया जायेगा। नीलामी प्राप्त होने के उपरान्त स्थल पर किसी भी प्रकार की बाधा आने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- 11. सर्वोच्च बोलीदाता को नहर की साइट पर सम्बन्धित खण्ड के सम्बन्धित अवर अभियन्ता के साथ उपस्थित होकर संयुक्त रूप से मात्रा आंकलन करते हुए कबाडयुक्त सिल्ट के क्रास सेक्शन (वक्र छिन्नक) में हस्ताक्षर कर इस कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। तत्पश्चात् ही कबाडयुक्त सिल्ट उठाने के आदेश निर्गत किये जायेगे।
- 12. सिल्ट उठाने के दौरान यदि यह पाया जाता है कि किसी ठेकेदार/फर्म द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित क्रास सेक्शन से अधिक सिल्ट उठायी गयी है तो अधिक की मात्रा में उठायी गयी सिल्ट की मात्रा के अनुसार उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम बोली के अनुसार राजस्व जमा करना होगा। राजस्व जमा न किये जाने की स्थिति में उसके द्वारा उपलब्ध करायी गयी धरोहर धनराशि को जब्त कर सिंचाई विभाग एवं खनन विभाग के प्रचलित नियमों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।
- 13. जहाँ राजबहों / माइनरों में सेवा मार्ग का प्राविधान नहीं है अथवा किसी अन्य मार्ग से कच्चा सेवा मार्ग जुड़ा नहीं है तो उक्त राजबहों / माइनरों पर कबाडयुक्त सिल्ट का परिवहन मात्र ट्रैक्टर ट्राली से ही अनुमन्य होगा।
- 14. कबांडयुक्त सिल्ट (साधारण बालू) उठाने के उपरान्त निविदाकार को विभागीय मानकों के अनुरूप बैंक में अतिरिक्त सिल्ट को स्वयं के व्यय पर ड्रेसिंग करना होगा।
- 15. कबाडयुक्त सिल्ट (साधारण बालू) को उठाने का कार्य संबंधित खण्डों के सम्बन्धित रींच के सहायक अभियन्ता / अवर अभियन्ता की देख रेख में सम्पादित किया जायेगा।
- 16. सिल्ट की मात्रा के सापेक्ष निर्धारित मूल्य रू० 55.00 के हिसाब से कुल धनराशि का 10 प्रतिशत की धनराशि का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी किया हुआ एफ0डी0आर0 / एन0एस0सी0 अथवा नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रतिभूति के रूप में, जो खान निरीक्षक जनपद अमेठी के नाम बन्धक होना अनिवार्य है,

देय होगा। धरोहर धनराशि के रूप में बैंक गारण्टी मान्य नहीं होगी। उक्त धरोहर धनराशि कार्य पूर्ण होने की तिथि से न्युनतम 06 माह बाद अवमुक्त की जायेगी।

- 17. कार्य पूर्ण न करने की दशा में अथवा कार्य उपरान्त नहरों के बैंक / डोला को मानक के अनुरूप सही न कराये जाने की दशा में संबंधित निविदाकार द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि व 10 प्रतिशत जमानत धनराशि जब्त करते हुए विभागीय नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 18. निविदादाता / बिंडर द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी / ट्रेनिंग अथवा किसी अन्य कारण से शर्तों को पूर्ण न कर पाने / बाधित हो जाने के कारण निविदा न पड़ने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 19. निविदादाता को यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि० लखनऊ में ई—टेण्डरिंग हेतु पंजीकृत होना आवश्यक है, यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि० लखनऊ के माध्यम से ई टेण्डरिंग हेतु प्रिषक्षण की कार्यवाही पूर्ण होना आवश्यक है।
- 20. रायल्टी के रूप में जमा की जाने वाली कुल धनराशि के सापेक्ष सफल निविदाकार को 10 प्रतिशत जिला खनिज न्यास एवं 2.06 प्रतिशत टी०सी०एस० व नियमानुसार स्टाम्प देय होगा।
- 21. जिन वाहनों / मशीन से कबाडयुक्त सिल्ट की उठान / परिवहन किया जायेगा उसका विवरण खान निरीक्षक अमेठी को उपलब्ध कराना होगा।
- 22. कार्य समाप्ति की अवधि के उपरान्त किसी भी निविदाकार द्वारा यदि समयवृद्धि से संबंधित प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 23. माननीय न्यायालय/मा० निर्वाचन आयोग, भारत सरकार/उ०प्र० शासन/सिंचाई विभाग/खनन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों/ शासनादेशों का अनुपालन किया जाएगा।
- 24. जिलाधिकारी अमेठी द्वारा किसी भी समय बगैर कारण बताये ई—निविदा को अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

खान निरीक्षक अमेठी

स्व-घोषणा शपथ-पत्र

(ानावदा प्रपत्र क साथ शपथ पत्र मूल्रुप म	
मैंका निवासी हूँ । मै शपथ पूर्वक निम्न घोषणा करता है	ੁੱ ਰੋ :—
1. सिंचाई विभाग द्वारा जो (कार्य का विवरण लिखा जाये	
करानें की निविदा निर्गत की गयी है उ भर रहा हूँ।	सक लिए म विभाग द्वारा निधारित प्रारूप पर निविदा
 मेरे द्वारा दिए जा रहे प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण व अन्य आवश्यव 	n अभिलेख आदि का प्रमाण पत्र अन्य संसंगत अभिलेख
आदि मूलरूप में निविदा में अपलोड कर दिए गए हैं।	is on the only an arm in the
3. मेरा पैन नम्बरहै।	
4. मेरे विरूद्ध अपराधिक मुकदमों का विवरण निम्न प्रकार हैं। यहा विव	रण दिया जाये।
(अ) मुकदमा नम्बर :-	
(ब) धारायें :	
(स) थाना :	
(द) जनपद :- (य) न्यायालय जहाँ मुकदमा चल रहा हैं:	
 मैं सिंचाई विभाग एवं खान विभाग अथवा राज्य सरकार के अन्य वि 	नेभागों टारा ब्लैक लिस्ट की श्रेणी में नही आता हूं। में
अपराधिक गतिविधियों, माफिया तथा गैंगस्टर गतिविधियों और र	
कार्यो आदि में लिप्त नही हूँ। मैं माफिया एव अपराधी नही हूँ मेरा चा	
6. मेरे विरुद्ध जनपद मे तथा प्रदेश में कोई भी मुकदमा दर्ज नही हैं।	
7. यदि ठेका प्राप्त करनें कें पश्चात मेरे विरूद्ध माफिया गतिविधिये	
संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होनें कें बारे में कोई शि	
अधिकार होगा कि वह मेरा ठेका/अनुबन्ध निरस्त कर दें। इर	
विभाग / राज्य सरकार कें विरुद्ध कोई अपराधिक कृत किया जाता	
नुकसान किया जाता हैं। तो सक्षम अधिकारी कों अधिकार होगा कि दर्ज करायें।	० पर गर ।परूद्व अपराविक मुकदमा ।मयमा के अन्तागर
 मैं अनुबन्ध के शर्तों के अनुसार समय से पूरी गुणवत्ता के साथ तथ् 	था निर्धारित विशिष्टियों के अनरूप कार्य परा करूगाँ।
9. मेरा कार्य एंव आचरण उत्तम हैं।	
10. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरा स्थायी पता और अस्थायी	पता निम्न प्रकार हैं:
पता –	
(अ) स्थायी पता दूरभाष सहित	
(ब) अस्थायी पता दूरभाष सहित	
11. मैं शपथ पूर्वक घोशणा करता हूं कि मैं उपरोक्त पते पर रहता हूं तक मेरे किसी पते में सामान्यतः कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि अ	्तथा विभाग द्वारा प्रदान किय गय काय का पूरा होन
तो इसकी सूचना मैं तत्काल अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग औ	
12. सिंचाई विभाग के किसी भी अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता	
कोई स्टाफ का कोई भी नजदीकी रिश्तेदार मेरे / हमारे यहाँ सेवारत	
13. मै या मेरी फर्म / कम्पनी जिसमें मैं स्वयं निदेशक / पार्टनर / मलिक	
जुडी कम्पनी जिसमें मैं निदेशक / पार्टनर रहा हूँ ब्लैक लिस्टेड य	ा दिवालिया घोषित नही किया गया हूँ। (फर्म होने की
दशा में)	
14. मैं अपनी पूर्ण जानकारी में पूरे होशो-हवास में स्व-स्वस्थ चित	से पूरी सत्यनिष्ठा से तथा स्वेच्छा से यह शपथ पत्र
लिख दे रहा हूँ। ईश्वर मेरी मद्द करें।	
देनॉक:	शपथी का पूरा हस्ताक्षर पूरा नाम :
	पता :
नोट:	IXII *
ा गर स्वधोषणा भाग्य एवं रूप १०००० (रूप एक सी) के स्ट्रीमा पेपर	पर नोटरी टारा साध्यों की उपस्थिति में सट्यापित करात

- 1. यह स्वघोषणा शपथ पत्र रु० 100.00 (रु० एक सौ) के स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा साक्ष्यों की उपस्थिति में सत्यापित कराते हुये दिया जायेगा।
- 2. असत्य शपथ पत्र देना संगीन और संज्ञेय अपराध हैं।
- 3. सम्बन्धित व्यक्ति का पासपोर्ट साईज का अपना फोटोग्राफ जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो शपथ पत्र के ऊपर निर्धारण स्थान पर चस्पा किया जायेगा।

ई-निविदा के माध्यम से आमंत्रित नीलामी प्रपत्र महत्वपूर्ण-किसी प्रकार के कंटिग/ओवरराइटिंग पर ई-निविदा निरस्त की जा सकती है।

1.	विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा नीलामी को	
	विज्ञापित किया गया हो	
2.	विज्ञप्ति में रीच का क्रमांक व नाम	
3.	नीलामीदाता का नाम	
4.	नीलामीदाता के पिता का नाम	
5.	स्थायी पता	
	वर्तमान पता	
6.	प्रानान प्रा	
7.	मोबाइल नम्बर	
1.	THAIRCE THAT	
8.	ई—मेल आई०डी०	
9.	पैन कार्ड नम्बर	पैन कार्ड की स्कैन्ड कापी ई—टेण्डर पोर्टल पर
		अपलोड करनी होगी।
10.	पता का प्रमाण पत्र (पता के प्रमाण के रूप में निम्न	पहचान पत्र की स्कैन्ड कापी ई—टेन्डर पोर्टल पर
	में से कोई एक मान्य होगा— वोटर	अपलोड करनी होगी।
	आई०डी० / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / बिजली	
	बिल / बैंक पासबुक अथवा अन्य मान्य दस्तावेज)	
11.	नीलामीदाता द्वारा कोई खनन देय बकाया न होने के	10.00 रू० के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर घोषणा
11.		C1
	संबंध में घोषणा पत्र / शपथ पत्र	पत्र / शपथ पत्र की स्कैन्ड कापी ई—टेण्डर पोर्टल पर
		अपलोड करनी होगी।
40	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत वैध चरित्र प्रमाण पत्र	चरित्र प्रमाण पत्र की स्कैण्ड कापी ई—टेण्डर पोर्टल
12.	ाजलाधिकारा द्वारा निगत वध चारत्र प्रमाण पत्र	Ţ
		पर अपलोड करनी होगी।
40	खनिज के प्रति घनमीटर के लिए दी जा रही दर	
13.		रू०प्रति घनमी० (अंकों में)
	जो नियमावली 1963 के प्रथम अनुसूची में उस	<i>₹</i> 0
	खनिज के लिए निर्धारित रायल्टी की दर से कम	
	नहीं होगी।	पति घनमी० (शब्दों में)
14.	विज्ञप्ति में क्षेत्र के लिए दी गयी भण्डारित	घनमीटर
	कबाडयुक्त सिल्ट (साधारण बालू) की मात्रा	
	ζ , ζ	

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सही व सत्य है। कोई सूचना छिपायी नहीं गयी है तथा नीलामी आमंत्रण प्रपत्र की समस्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

दिनांक:--